क्रम-संख्या—149 (क-2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 21 अप्रैल, 2008
बैशाख 1, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
राजस्व अनुभाग–11

संख्या 1647/1-11-2008-102 (जी)-06
लखनऊ, 21 अप्रैल 2008

अधिसूचना

प० आ०-322

चूँकि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2005) का अधिनियमन उत्तर प्रदेश राज्य में आपदा के प्रभावी प्रबंध की व्यवस्था करने, आपदा के प्रभावों को कम करने, आपदाओं के घटित होने के दौरान तथा बाद में आपात राहत का प्रबंध करने, उसे सुसाध्य बनाने, उसका समन्वय करने और अनुश्रवण करने का प्रबंध और आपदाओं के परिणामस्वरूप पुनर्निर्माण ओर पुनर्वास के उपायों को लागू करने, उसका अनुश्रवण करने तथा समन्वय करने के लिये और इन प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना करने के लिये और अन्य अभिकरणों को विनिर्दिष्ट करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये किया गया था, जो दिनांक 11 अगस्त, 2005 से प्रभावी है;

और, चूँकि, केन्द्रीय सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 53 सन् 2005) का अधिनियमन किया गया है, जो दिनांक 01 अगस्त, 2007 से प्रभावी हो गया है;

और, चूँकि, उक्त उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 के उपबंध उक्त केन्द्रीय अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक 01 अगस्त, 2007 से भारत का संविधान के अनुच्छेद–254 के अधीन उक्त केन्द्रीय के प्रतिकूल होने की सीमा तक निष्प्रभावी हो गये हैं;

अतएव, अब, उपर्युक्त केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53 सन् 2005 की धारा 14 के साथ पठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2005) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 3296/1-11-2005-44(जी)-2005, दिनांक 24 नवम्बर, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में –

(क) प्रथम पैरा में शब्द "उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध प्राधिकरण नाम से" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण नाम से" रख दिये जायेंगे;

(ख) द्वितीय पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जायेगा, अर्थातः–

"राज्यपाल अग्रतर निर्देश देते हैं कि उपर्युक्त प्राधिकरण में नीचे उल्लिखित अध्यक्ष और सदस्यगण होंगे:–

1–मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2–मंत्री, राजस्व विभाग	सदस्य
3–मंत्री, कृषि विभाग	सदस्य
4–मंत्री, सिंचाई विभाग	सदस्य
5–मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6–कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
7–प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
8–प्रमुख सचिव, गृह	सदस्य
9–प्रमुख सचिव, वित	सदस्य

आज्ञा से,
बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1647/I-11–2008-102(G)-06, dated April 21, 2008:

No. 1647/I-11–2008-102(G)-06

Dated Lucknow, April 21, 2008

WHEREAS the Uttar Pradesh Disaster Management Act, 2005 (U.P. Act no. 20 of 2005) was enacted to provide for effective management of disaster, for mitigation of effects of disaster, for administering, facilitating, co-ordinating and monitoring emergency relief during and after occurrence of disasters and for implementing, monitoring and co-ordinating measures for reconstruction and rehabilitation in the aftermath of disasters, in the State of Uttar Pradesh and for these purposes to establish the Uttar Pradesh Disaster Management Authority and to specify other agencies and for matters connected therewith or incidental thereto, which has been effective since August 11, 2005;

AND, WHEREAS, the Disaster Management Act, 2005 (Act no. 53 of 2005) has been enacted by the Central Government, which has become effective with effct from August 01, 2007;

AND, WHEREAS, the provisions of the said Uttar Pradesh Disaster Management Act, 2005 has become void with effect from August 01, 2007. The date of commencement of the said Central Act to the extent of the repugnancy to the said Central Act under Article 254 of the Constitution of India;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 7 of the Uttar Pradesh Disaster Management Act, 2005 (U.P. Act no. 20 of 2005) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) *read* with section 14 of the aforesaid Central Act no. 53 of 2005, the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 3296/I-11–2005-44(G)-2005, dated November 24, 2005.

AMENDMENT

In the aforesaid notification —

(*a*) in the first para *for* the words "by the name of the Uttar Pradesh" the words "by the name of the Uttar Pradesh State" shall be *substituted;*

(*b*) *for* para second the following para shall be *substituted,* namely :–

"The Governor is further pleased to direct that the aforesaid authority shall consist of the Chairperson and the members mentioned below:–

1. The Chief Minister of Uttar Pradesh	*Chairperson*
2. The Minister for Revenue Department	*Member*
3. The Minister for Agriculture Department	*Member*
4. The Minister for Irrigation Department	*Member*
5. The Chief Secretary, Uttar Pradesh	*Member*
6. The Agriculture Production Commissioner	*Member*
7. The Principal Secretary, Revenue	*Member*
8. The Principal Secretary, Home	*Member*
9. The Principal Secretary, Finance	*Member*

By order,
BALVINDER KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 92 राजपत्र–(हिन्दी)–2008–(202)–597 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 4 सा० राजस्व 9–5–08–(203)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।